उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल

फौजदारी जेल अपील संख्या 59 वर्ष 2019

रजत पुत्र श्री रमाशंकर निवासी ग्राम गौचरंट थाना पेहुआ, कुरूक्षेत्र, हरियाणा .....प्रार्थी/अपीलकर्ता (कारागार में निरूद्ध)

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य .....प्रतिवादी

उपस्थितः
सुश्री स्वाति वर्मा, अपीलकर्ता की ओर से न्याय मित्र।
श्री वी0एस0 राठौड़, राज्य की ओर सहायक महाधिवक्ता।

माननीय लोकपाल सिंह, जे.

वर्तमान आपराधिक जेल अपील विशेष न्यायाधीश पोक्सो, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, देहरादून द्वारा चालानी थाना सहसपुर, देहरादून में पंजीकृत मु0अ0सं0 संख्या 209 वर्ष 2018 (सत्र परीक्षण संख्या 76 वर्ष 2018) में अन्तर्गत धारा 363, 366ए और 376 और 5/6 पॉक्सो अधिनियम में दिनांक 14.06.2019 को पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश के विरूद्ध योजित की गयी है जिसके द्वारा अपीलकर्ता को भा0दं0स0 की धारा 363 एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 40,000/– रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है तथा जुर्माने की धनराशि 40,000/– में से 20,000/– रुपये पीड़िता को देने के लिये निर्देशित किया गया। अपीलकर्ता को दोषसिद्ध करते

हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है और जुर्माना लगाया गया है और जुर्माना धनराशि जमा न करने की स्थिति में अपीलकर्ता को क्रमशः एक वर्ष एवं एक महीने से अधिक की सजा काटनी होगी तथा सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

2. वर्तमान मामले से जुड़े तथ्य यह हैं कि शिकायतकर्ता पीडब्ल्यू–2 (नाम छिपाया गया) ने दिनांक 07.05.2018 को अपीलकर्ता के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई थी कि शिकायतकर्ता की लगभग 13 वर्ष की बेटी (नाम छिपाया गया) को आरोपी अपीलकर्ता ने उकसाया है। उसने बच्ची को ढूंढने का प्रयास किया लेकिन कहीं पता नहीं चल सका। घटना दिनांक 07.05.2018 की है, उसने आरोपी और उसकी बेटी का मोबाइल नंबर भी दिया। इस संबंध में उक्त प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पर जांच अधिकारी ने जांच शुरू कर दी। इसके बाद लड़की को बरामद कर लिया गया और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज किया गया। उसमें उसने बताया कि घटना 06.05.2018 की है जब वह अपनी मां से मिलने जा रही थी तो रास्ते में आरोपी ने उसे इशारे से बुलाया और कहा कि वह उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है उसने अपने बयान में बताया कि शुरुआत में वह अपनी मर्जी के खिलाफ आरोपी के साथ हिमाचल के रास्ते पौंटा साहिब गुरुद्वारे गई थी, वहीं उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अगले दिन, आरोपी अपीलकर्ता अपनी बहन के साथ अबोहर, हरियाणा स्थित उसके घर गया था। इसके बाद, आरोपी अपीलकर्ता उसके साथ अपने पैतृक स्थान पेहुआ कुरू

क्षेत्र चला गया और एक मंदिर में शादी भी कर ली, इन्हें पुलिस ने दिनांक 10.05.2018 को बल्लूपुर चौक से गिरफ्तार किया है।

3. ऐसा अनुमान है कि लड़की की चिकित्सकीय जांच की गई और उसके शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं पाई है। डॉक्टर की राय थी कि रेप के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती। गिरफ्तारी मेमों के अनुसार आरोपी को दिनांक 12.05.2018 को लगभग रात्रि 11.15 बजे गिरफ्तार किया जाना दर्शाया गया है। जांच के बाद, जांच अधिकारी ने अपीलकर्ता के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 363, 366ए और 376 और 5/6 पोक्सो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

4. विद्वान विशेष न्यायाधीश, पोक्सो देहरादून ने आरोपी अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366ए और 376 और 5/6 पोक्सो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप तय किए गए। आरोपी अपीलकर्ता ने खुद को निर्दोष बताया और विचारण किये जाने की मांग की गयी। अपराध से इनकार करने पर अभियोजन पक्ष ने छह गवाह, पी.डब्ल्यू.–1 (नाम छुपाया गया) (पीड़ित) पी. डब्ल्यू–2 (नाम छुपाया गया) (पीड़िता के पिता) पी.डब्ल्यू–3 डॉ मंजू चंद, पी.डब्ल्यू–4 (नाम छुपाया गया) (पीड़िता की मां) पी0डब्ल्यू 5 लक्ष्मी जोशी (एस. आई.) और पी डब्ल्यू 6 सुभाष वर्मा (स्कूल के प्रिंसिपल) को परीक्षित कराया। इसके बाद द0प्र0सं0 की धारा 313 के तहत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य आरोपी व्यक्ति के सामने रखे गए, जिसके जवाब में उसने कहा कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। विद्वान विचारण

न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 14.06.2019 द्वारा अपीलकर्ता को अपराध के लिए दोषी ठहराया ओर तदनुसार सजा दी।

5. मुख्य परीक्षा में पीड़िता ने कहा कि उसने अभियुक्त के साथ विभिन्न स्थानों पर यात्रा की जहाँ आरोपी/अपीलकर्ता ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जिरह में, वह अपनी मुख्य परीक्षा का समर्थन नहीं कर सकी और उसने कहा कि उसे नहीं पता कि वह आरोपी अपीलकर्ता के साथ कहां गई थी। हालाँकि, उसका कहना है कि आरोपी अपलीकर्ता ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। पीड़िता के पिता पी0 डब्ल्यू0–2 ने बताया कि उसकी बेटी की जन्म तिथि 08.02.2005 है और आरोपी अपलीकर्ता उसे जानता था। घटना 07.05.2018 की है पीड़िता घर से बाहर गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी। जिरह में उन्होंने बताया कि उनकी बेटी शाम 5.00 से 5:30 बजे के बीच घर से बाहर गई थी, लेकिन आरोपी उसकी बेटी को उसकी उपस्थिति में नहीं ले गया। उसका कहना है कि उसके पास आरोपी का फोन नंबर नहीं था और उसने उसकी फोटो फेसबुक की वेबसाईट से डाउनलोड की थी। इसके बाद उनकी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई। उन्होंने यह भी माना कि ऐसी कोई शिकायत रिकॉर्ड में नहीं है। उनका यह भी कहना है कि शिकायत के दिन उनकी बेटी 5–6 दिन से लापता थी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने यह नहीं देखा कि पीड़िता आरोपी के साथ थी। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करने वाली पी0डब्ल्यू–3 डॉ. मंजू चंद ने कहा कि पीड़िता के शरीर पर न तो कोई चोट थी और न ही पीड़िता के कपड़ों पर खून के

धब्बे, शुक्राणु आदि पाए गए। उन्होंने यह भी कहा कि लड़की डर और मानसिक परेशानी में नहीं थी। पीड़िता ने उसे यह नहीं बताया कि लड़की को आरोपी अपीलकर्ता ले गया है। पीड़िता की मां पी.डब्ल्यू. –4 ने अपने बयान में कहा है कि पीड़िता की जन्म तिथि 08.02.2005 है। घटना दिनांक 07.05.2018 की है। प्रतिपरीक्षा में उसने बताया कि घटना 07.04.2018 की है। जब पीड़िता गई तो उससे पहले उसकी मुलाकात आरोपी अपीलकर्ता से हुई। किसी ने यह नहीं बताया कि पीड़िता आरोपी के साथ गई है। वह यह भी मानती है कि संदेह के आधार पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। पी0–डब्ल्यू–5 लक्ष्मी जोशी (एस.आई) से पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि लड़की और आरोपी को बल्लूपुर चौक के पास से बरामद किया गया। पीड़िता का बयान द0प्र0सं0 की धारा 164 के अन्तर्गत दिनांक 16.05.2018 को दर्ज किया गया एवं जांच उपरांत आरोपपत्र योजित किया गया। जिरह में उसने स्वीकार किया कि पीड़िता ने यह बयान नहीं दिया है कि आरोपी उसे कहां ले गया था। अपनी जिरह पर वह बताती है कि कोई भी साक्ष्य देने को तैयार नहीं था। उनका यह भी कहना है कि उन्होंनें आरोपी ओर पीड़िता के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करने का कोई प्रयास नहीं किया। पी. डब्ल्यू–6 सुभाष वर्मा (स्कूल के प्रिंसिपल) से पूछताछ की गई जिन्होंने बताया कि रजिस्टर में पीड़िता की जन्मतिथि 07.05.2018 है।

6. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

7. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता को पीड़िता के पिता के साथ दुश्मनी के आधार पर झूठा फंसाया गया

है, उन्होंने कहा कि पी.डब्ल्यू 3 डॉ. मंजू चंद के बयान के अनुसार पीड़िता के साथ बलात्कार का कोई संकेत नहीं है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि जांच सरसरी तौर पर की गई है। आगे यह भी कहा गया है कि पीड़िता का बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट–तृतीय, देहरादून द्वारा दर्ज किया गया था, लेकिन उसमें तारीख का कोई उल्लेख नहीं है।

8. दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 164 के अर्न्तगत दर्ज किये गये पीड़िता के बयान का अवलोकन। जिससे दर्शित होता है कि जब पीड़िता द्वारा बयान दिया गया था, तो विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट–तृतीय देहरादून ने तारीख का उल्लेख नहीं किया है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पीड़िता का बयान दिनांक 11.05.2018 को दर्ज किया गया था। अपीलकर्ता और पीड़िता को कथित तौर पर दिनांक 10.05.2018 को बल्लूपुर चौक से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी मैमो के अवलोकन से दर्शित होता है कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी 12.05.2018 को रात्रि 11.15 बजे दिखाई गई है। गिरफ्तारी मैमो प्रदर्श क–7 में गिरफ्तारी की जगह का उल्लेख नहीं किया गया है। स्कूल रजिस्टर के अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि 05.02.2005 है और कथित घटना की तारीख पर पीड़िता नाबालिग थी।

9. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान फोरेंसिक रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया और तर्क दिया कि फोरेंसिक रिपोर्ट में घटना की तिथि में ओवरराइटिंग है और रिपोर्ट की तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है। फोरेंसिक रिपोर्ट पेपर नंबर 19बी का

अवलोकन करने पर पता चलता है कि कोई तिथि अंकित नहीं की गयी है केवल तिथि ..../05/2018 लिखी गई है। रिपोर्ट को आगे देखने पर पता चलता है कि शुरुआत में घटना की तारीख 04.05. 2018 दिखाई गई है और ओवरराइटिंग के बाद इसे 07.05.2018 बताया गया है। अपीलकर्ता के विद्वान न्याय मित्र का तर्क है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों में बहुत विरोधाभास हैं। आगे तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता, जो जेल में है, को झूठा फंसाया गया है। विद्वान वकील ने आगे यह भी तर्क दिया कि गरीब व्यक्ति होने के कारण अपीलकर्ता अधिवक्ता की मदद से मामला नहीं लड़ सकता है और अपीलकर्ता की ओर से विद्वान नयाय न्याय मित्र द्वारा मामला लड़ा गया है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि द0प्र0सं0 की धारा 164 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान के अनुसार उन्हें पुलिस ने 10.05.2018 को बल्लूपुर चौक से गिरफ्तार किया था। हालाँकि, पीड़िता का बयान 11.05.2018 को दर्ज किया गया था। आगे यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी 12.05.2018 को आधी रात को दिखाई गई है और गिरफ्तारी की जगह का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए अभियोजन पक्ष के दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य स्वयं अभियोजन पक्ष के मामले को संदिग्ध बनाते हैं।

10. पीड़िता ने अपने बयान में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है और उसने किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर ली है। हालाँकि स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र में उसकी उम्र 13 साल लग रही है, लेकिन अपने बयान में उसने खुद बताया है कि उसकी उम्र लगभग 20 साल है और उसने किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर ली है। यदि वह 13 वर्ष की होती, तो उसके लिए ऐसा

कोई अवसर नहीं था कि वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ शादी कर पाती, जो फिर से अभियोजन पक्ष के मामले के विरूद्ध संदेह पैदा करता है। अपीलकर्ता के झूठे आरोप से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अभिलेख पर आया है कि पीड़िता के पिता और आरोपी अपीलकर्ता के बीच दुश्मनी थी।

11. पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के बाद, इस न्यायालय का मत है कि धारा 376 के तहत कोई भी सामग्री अपीलकर्ता के खिलाफ उचित संदेह से परे अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं की गई है। इस प्रकार इस न्यायालय का मत है कि अपीलकर्ता को दोषी ठहराने और दस साल के कठोर कारासास की सजा सुनाने में अवैधता की है। जहां तक अपीलकर्ता को भा0द0सं0 की धारा 363, 366ए और 376 और 5/6 पोक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराए जाने का सवाल है, अभियोजन पक्ष ठोस सबूतों से यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा कि लड़की को उसके माता–पिता की हिरासत से छीन लिया गया था। अभियोजन पक्ष यह दिखाने में भी विफल रहा कि पीड़िता को आरोपी अपीलकर्ता की हिरासत से बदामद किया गया था। एक ओर, अभियोजन पक्ष के गवाहों ने कहा कि पीड़िता को आरोपी अपीलकर्ता के कब्जे से बरामद किया गया था। दूसरी ओर, फर्द बरामदगी से यह साबित होता है कि पीड़िता को आरोपी अपीलकर्ता की हिरासत से बरामद नहीं किया गया था। द0प्र0सं0 की धारा 164 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान में बहुत विरोधाभास है। अभियोजन पक्ष इस तथ्य को साबित नहीं कर सका कि पीड़िता को आरोपी अपीलकर्ता की हिरासत से बरामद किया गया था। अभियोजन पक्ष और जांच अधिकारी के बयान के अनुसार,

आरोपी अपीलकर्ता की हिरासत से बरामदगी नहीं की गई है। ऐसे विरोधाभासों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को आरोपी अपीलकर्ता के विरूद्ध उचित संदेह से परे अपना मामला साबित करना होगा।

12. अपीलकर्ता के लिए विद्वान न्याय मित्र द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि पीड़िता के साथ बलात्कार की कोई राय नहीं है, इसलिए विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को धारा 376 के तहत दडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराने में अवैधता की है और धारा 376 के तहत कोई मामला नहीं है। आरोपी अपीलकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

13. अभिलेख पर उपलबध समग्र दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय का मत है कि अभियोजन पक्ष आरोपी अपीलकर्ता के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 363, 366ए और 376 एवं 5/6 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत अपना मामला साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा। चूंकि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा, इसलिए आरोपी अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने का हकदार है। इसलिए, दोषसिद्धि और सजा को अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरूप दस साल के कठोर कारावास और 40,000/ रुपये के जुर्माने की सजा को अपास्त किया जाता है। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में भी विफल रहा कि पीड़िता को अपीलकर्ता द्वारा उसके विधिक संरक्षणकर्ता से अपहरण कर लिया गया था। चूँकि अभियोजन भा0द0सं0 की धारा 363, 366ए ओर 376 ओर 5/6 पोक्सो अधिनियम के आवश्यक तत्वों को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है और इसलिये आक्षेपित निर्णय

और आदेश द्वारा की गयी दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में उचित नहीं है। तद्नुसार अपीलकर्ता को संदेह का लाभ दिया जाता है और भा0द0सं0 की धारा 363, 366ए, 376 और 5/6 पोक्सो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों से दोषमुक्त किया जाता है।

14. तदनुसार, वर्तमान आपराधिक जेल अपील स्वीकार की जाती है। विशेष न्यायाधीश पोक्सो**,** अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, देहरादून द्वारा चालानी थाना सहसपुर, देहरादून में पंजीकृत मु0अ0सं0 संख्या 209 वर्ष 2018 (सत्र परीक्षण संख्या 76 वर्ष 2018) में अन्तर्गत धारा 363, 366ए और 376 और 5/6 पॉक्सो अधिनियम में दिनांक 14.06.2019 को पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है।

15. अपीलकर्ता जेल में है। यदि अपीलकर्ता किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है, तो उसे तुरंत रिहा किया जाए।

16. इस निर्णय की एक प्रति अनुपालन हेतु संबंधित न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जाए।

17. अवर न्यायालय का अभिलेख भी संबंधित न्यायालय को वापस प्रेषित किया जाए।

(लोक पाल सिंह जे.)
13.01.2021

रवि